अनुस्मारक

पत्र संख्या-चरित्र पंजिका सेल-सामान्य पत्र व्यवहार-2020-21// 1221 //वाणिज्य कर

कार्यालय- कमिश्नर, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश,
(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ // दिनांक //अगस्त, 11 2020

1-समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
2-समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
3-डिप्टी कमिश्नर(प्रशासन)/असिस्टेंट कमिश्नर(ए),
वाणिज्य कर ,उत्तर प्रदेश।

कृपया मुख्यालय के पत्र संख्या- 59441, दिनांक-16,मार्च ,2020 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें जिसमें शासनादेश सं0-06/1/1976 कार्मिक-2 दिनांक-21-05-1976 एवं शासनादेश सं0-36/1/1976 कार्मिक-2 लखनऊ दिनांक-30-10-1986 में दिये गये प्राविधानानुसार समूह-ग श्रेणी के कार्मिकों को वर्ष 2013-14 से प्रदान की जा रही वार्षिक प्रविष्टियों हेतु प्रतिवेदक एवं स्वी कर्ता धिकारी निर्धारित करते हुए स्पष्ट निर्देश दिये गये है कि अराजपत्रित श्रेणी के जिन कार्मिकों की चरित्र पंजिकाओं का रख-रखाव मुख्यालय पर किया जा रहा है उनकी वार्षिक प्रविष्टियॉं पूर्ण कराकर एवं स्वीकर्ता अधिकारी (एक स्तर उच्च अधिकारी) से प्रतिहस्ताक्षरित कराते हुए वर्ष 2019-20 तक की वार्षिक प्रविष्टियॉं अविलम्ब / शीघ्रातिशीघ्र मुख्यालय को उपलब्ध करा दी जायें।

मुख्यालय के उपरो त परिपत्र दिनांक-28-10-2014 द्वारा भेजे गये स्पष्ट निर्देशों एवं अनुस्मारक पत्र सं0- 2365 , दिनाक 05-08-2016 तथा अनुस्मारक पत्र सं0- 307, दिनांक 23-04-2019 भेजे जाने के बावजूद अधिकांश कार्मिकों की मुख्यालय को उपलब्ध करायी जा रही वार्षिक प्रविष्टियॉं स्वीकर्ता अधिकारी (एक स्तर उच्च अधिकारी) द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है। बहुधा यह भी देखा जा रहा है कि कतिपय कार्मिकों को प्रदान की गई वार्षिक प्रविष्टि की मूलप्रति मुख्यालय को प्रेषित ही नहीं की जाती है, अपितु इसके स्थान पर वार्षिक प्रविष्टि की छायाप्रति उनकी चरित्र पंजिकाओं मे चस्पा किये जाने हेतु मुख्यालय को प्रेषित की जा रही है।इसके अतिरिक्त यदि किसी कार्मिक को अंकित की गयी वार्षिक प्रविष्टि प्रतिकूल है तो उसे सक्षम स्वीकर्ता अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर संबंधित कर्मचारी को संसूचित कराये बिना ही मुख्यालय को प्रेषित कर दी जाती है।अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा अपनायी जा रही इस प्रकार की अनियमित प्रक्रिया शासन / मुख्यालय के दिशा निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है।

अत:आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपके परिसम्भाग / सम्भाग के अन्तर्गत तैनात अराजपत्रित श्रेणी के कार्मिकों की वार्षिक प्रविष्टियॉं उपरोक्त निर्देशानुसार निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराकर मुख्यालय को भिजवाए जाने हेतु निम्न **दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए :-**

1- संबंधित कार्मिकों को अंकित की गयी वार्षिक प्रविष्टियॉं मुख्यालय के उपरोक्त पत्रांक-3314 दिनांक-28-10-14 में दिए गए निर्देशानुसार सक्षम स्वीकर्ता अधिकारी के स्तर से प्रतिहस्ताक्षरित / स्वीकृत कराकर ही चरित्र पंजिका में चस्पा करायी जाये तथा तदनुसार मुख्यालय में अनुरक्षित चरित्र पंजिकाओं में चस्पा किये जाने हेतु अग्रसारित की जाये।

2- वार्षिक प्रविष्टियों की मूल प्रति प्रतिहस्ताक्षरित कराकर ही सक्षम स्तर से प्रेषित की जाये , वार्षिक प्रविष्टि की छाया प्रति मुख्यालय को कदापि प्रेषित न की जाये।

808

प्रेषित
DC(17)
13.08.2020

3- यदि किसी कार्मिक को कोई प्रतिकूल प्रविष्टि / दण्डादेश प्रदान किया गया हो तो उसे संबंधित कार्मिक को तत्काल संसूचित कराकर उसकी तामीली / प्रत्यावेदन आदि की स्थिति की सूचना भी मुख्यालय को उपलब्ध करायें जिससे संबंधित कार्मिक के सेवा संबंधी मामले के निस्तारण के समय किसी प्रकार के विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो सकें।

(पी0एन0सिंह)
डिप्टी कमिश्नर (स्था0अराज0) वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ ।

<u>पृष्ठाकंन संख्या व दिनांक :: उक्त ।</u>

<u>प्रतिलिपिः-</u>

1- ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त परिपत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें ।

2- समस्त ज्वाइंट कमिश्नर /डिप्टी कमिश्नर ,वाणिज्य कर , मुख्यालय ,लखनऊ को उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करायें ।

(प्रवीण वर्मा)
असिस्टेंट कमिश्नर (स्था0अरा0) वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ ।